



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण  
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा  
संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)  
**National Water Development Agency**  
(Ministry of Water Resources, River Development  
and Ganga Rejuvenation, Government of India)

स्पीड पोस्ट द्वारा

संख्या: 12/5/2018-प्रशा./ 11863-65

दिनांक: 17/8/2018

सेवा में,

श्री मनोज श्रीवास्तव,  
ए-34, श्री अपार्टमेंट फ्लैट न० 401,  
Dwarikadhess कालोनी,  
थाटीपुर,  
ग्वालियर-474011.

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त श्री मनोज कुमार, ग्वालियर  
के ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.07.2018 के संबंध में ।

महोदय,

आपके दिनांक 10.07.2018 के आर.टी.आई. ऑनलाइन आवेदन जिसका रजिस्ट्रेशन सं०  
एनडब्ल्यूडीएवाई/आर/2018/50019 है, के संदर्भ में मांगी गई सूचना निम्न प्रकार है:-

“राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु कुल 13 आवेदकों  
में से एक आवेदक को अवर श्रेणी लिपिक पद पर नियुक्त देने के प्रस्ताव पर चयन समिति की  
बैठक में दिनांक 30.05.2018 को विचार हुआ था । नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए चयन  
समिति ने मैरिट के आधार पर आपके नाम की संस्तुति नहीं की है । अतः आप अनुकम्पा आधार  
पर नियुक्ति के पात्र नहीं हैं ।

यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो पत्र पाने के 30 दिन के भीतर सूचना  
का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अंतर्गत रा.ज.वि.अ. में प्रथम अपीलीय अधिकारी  
को अपील कर सकते हैं । अपीलीय अधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

श्री आर.के. जैन, मुख्य अभियंता (मुख्या.) एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, रा.ज.वि.अ.,  
18-20 सामुदायिक केन्द्र, साकेत, नई दिल्ली-110017 (e-mail Id -cehqnwda@rediffmail.com)  
फोन न०. 26852735.

भवदीय,

संलग्न: यथोपरि ।

(नरेन्द्र कुमार)

निदेशक (प्रशा.) एवं सीपीआईओ

26535141

(e-mail Id -diradm-nwda@nic.in)

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक(प्रशा.) एवं नोडल अधिकारी, रा.ज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली ।
2. निदेशक (एम.डी.यू.), रा.ज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली की वेबसाइट पर अपरोड करने के  
संबंध में ।